झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट)सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांकः– 09, फाल्गुन,1944 (श०) को 28 फरवरी, 2023 (ई०) झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
01-	शि०–04	श्री केदार हजरा,	उच्च विद्यालय का दर्जा।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
02-	वन०–07	श्री किशुन कुमार दास,	वन पट्टा देना।	वन पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	21-02-23
03-	टन०–09	श्री उमाशंकर अकेला,	तालाब का सौंदर्यीकरण।	पर्यटन,कला सं०,खेदकूद एवं यु०कार्य	21-02-23
04-	उ०–02	डॉ०कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	उद्योग स्थापित करना।	उद्योग	21-02-23
05-	वन०–10	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई।	वन पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	21-02-23
06-	शि०–03	श्री भानु प्रताप शाही,	हाई स्कूलों को अपग्रेड करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
07-	शि०–11	श्री मंगल कालिन्दी,	बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
08-	उत०–07	डॉ०लम्बोदर महतो,	कानूनी कार्रवाई करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21-02-23
09-	टन०–07	श्री किशुन कुमार दास,	पर्यटन स्थल घोषित करना।	पर्यटन,कला सं०,खेदकूद एवं यु०कार्य	21-02-23
10-	उत०–03	श्री कोचे मुण्डा,	विद्यालय का नव निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21-02-23

क०प्र०उ०.....2/–

01	02	03	04	05	06
11-	वन०-02	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	नियोजन देना।	वन पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	21-02-23
12-	शि०-10	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	लिपिक पद का सृजन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
13-	वन०-09	श्री कमलेश कुमार सिंह,	पर्यटन सर्किट बनाना।	वन पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	21-02-23
14-	वन०-05	श्री राजेश कच्छप,	पट्टा जारी करना।	वन पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	21-02-23
15-	शि०-14	श्री अनन्त कुमार ओझा,	स्मार्ट क्लास प्रारंभ करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
16-	उ०-03	श्री राजेश कच्छप,	पलायन रोकना।	उद्योग	21-02-23
17-	वन०-03	श्री अमित कुमार यादव,	आदेश को संशोधित करना।	वन पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	21-02-23
18-	उत०-11	श्री उमाशंकर अकेला,	संवेदक पर कार्रवाई।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21-02-23
19-	उत०-01	डॉ०नीरा यादव,	पठन-पाठन कार्य प्रारंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21-02-23
20-	उत०-08	डॉ०इरफान अंसारी,	डिग्री कॉलेज की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21-02-23
21-	शि०-15	डॉ०लम्बोदर महतो,	विद्यालय को उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
22-	शि०-20	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	विद्यालयों को प्रस्वीकृति देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
23-	शि०-09	श्री अमित कुमार मंडल,	राशि खर्च करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
24-	शि०-05	श्री केदार हजरा,	विद्यालय भवन का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
25-	उत०-12	श्री कमलेश कुमार सिंह,	पठन-पाठन प्रारंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21-02-23
26-	उत०-02	डॉ०नीरा यादव,	पदों का सृजन।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21-02-23
27-	उत०-06	श्री निरल पुरती,	विधि की पढ़ाई कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21-02-23

कृ०पृ०उ०.....3/-

01	02	03	04	05	06
28-	शि०-22	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	शिक्षकों का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
29-	शि०-18	श्री जिगा सुसारण होरो,	विद्यालय को उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
30-	वन०-11	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	गलत रिपोर्ट पर कार्रवाई।	वन पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	21-02-23
31-	टन०-10	श्री जिगा सुसारण होरो,	स्टेडियम निर्माण पूर्ण करना।	पर्यटन,कला सं०,खेदकूद एवं यु०कार्य	21-02-23
32-	वन०-04	सुश्री अम्बा प्रसाद,	जंगल और जमीन की क्षति पर रोक।	वन पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	21-02-23
33-	सुई०-02	श्री मनीष जायसवाल,	बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करना।	सू०प्रौ०एवं ई-गवर्नेश	21-02-23
34-	वन०-08	श्री ढुलू महतो,	प्रदूषण पर नियंत्रण।	वन पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	21-02-23
35-	शि०-07	श्री कोचे मुण्डा,	विद्यालय में कमरों का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
36-	शि०-13	श्री नवीन जयसवाल,	सेवा नियमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23

राँची,
दिनांक-28 फरवरी,2023 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)- 03/2020-574/वि०स०,राँची,दिनांकः- 26/02/23

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)- 03/2020-574/वि०स०,राँची,दिनांकः- 26/02/23

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/निजी सहायक सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)- 03/2020-574/वि०स०,राँची,दिनांकः- 26/02/23

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा / वेबसाईट शाखा एवं सभी संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

(01)

587
27/07/2023

श्री केदार हजरा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–04

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ विधान सभा क्षेत्र के देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में एक भी उच्च विद्यालय नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। देवरी प्रखण्ड में 06 सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 02 उच्चतर माध्यमिक (+2) विद्यालय, 01 कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं 01 मॉडल विद्यालय के अतिरिक्त 02 स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय संचालित हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि देवरी प्रखण्ड मुख्यालय से आस–पास के उच्च विद्यालय की दूरी करीब 10 कि.मी. रहने के कारण खास कर गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थानीय छात्र–छात्राओं को शिक्षण कार्य में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। देवरी प्रखण्ड मुख्यालय के निकटतम विद्यालय निम्नवत् हैं :– 1. रामनाथ +2 उच्च विद्यालय, रामपुर, घोरंजी– 12 कि.मी. 2. +2 उच्च विद्यालय, साखो, जमुआ – 13 कि.मी. 3. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बैरिया – 17 कि.मी. 4. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चौकी – 16 कि.मी. 5. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बरमसिया – 16 कि.मी. 6. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सालबलिहार – 20 कि.मी. 7. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, धरपहरी – 15 कि.मी.
3.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित मध्य विद्यालय घोसे को उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 05 कि0मी0 की परिधि तथा 5000 की आबादी पर एक माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित है। तत्संबंधी अधिसूचना संख्या–2748 दिनांक 18.11.2008 में निर्धारित शर्तों के आलोक में प्रखण्ड स्तर पर अवस्थित सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के आलोक में आवश्यकता का आकलन कर अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला को निदेशालयीय पत्रांक–251 दिनांक 05.02.2021 प्रेषित है। उपर्युक्त आलोक में गिरिडीह जिला एवं अन्य से प्राप्त प्रस्ताव की विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा समीक्षोपरांत तथा पंचायत स्तरीय ऐसे आदर्श विद्यालय, जिनमें छात्र संख्या 100 या 100 से अधिक हो, के उत्क्रमण हेतु चयनोपरांत, गिरिडीह जिला के 29 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करने का प्रस्ताव विचाराधीन एंव प्रक्रियाधीन है, जिसमें मध्य विद्यालय, घोसे भी सम्मिलित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित मध्य विद्यालय, घोसे को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय का दर्जा देते हुए समुचित शिक्षण कार्य कराने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति कंडिका–1 एवं 3 से स्वतः स्पष्ट है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–18 / 2023 587 राँची, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/23

सरकार के अवर सचिव।

02

श्री किशुन कुमार दास, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–07 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखण्ड लावालौंग, ग्राम पंचायत लमटा में अनुसूचित जाति के ग्रामीण लगभग 100 वर्षों से वनभूमि पर घर बनाकर रह रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि वन विभाग द्वारा गरीब असहाय अनुसूचित जाति परिवार के घरों को तोड़ दिया जा रहा है, जिससे उन परिवार के सदस्यों को खुले छत में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। जिला कल्याण पदाधिकार, चतरा के पत्रांक–241 / जि०क०, दिनांक–27.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि ऐसा कोई मामला नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे अनुसूचित जाति परिवार को वन पट्टा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	जिला कल्याण पदाधिकार, चतरा के पत्रांक–241 / जि०क०, दिनांक–27.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि वर्तमान में कोई आवेदन लंबित नहीं है। वन पट्टा से संबंधित जो आवेदन ग्राम वनाधिकार समिति एवं अनुमण्डल वनाधिकार समिति से पारित होकर जिला को प्राप्त होगा। उस पर जिला स्तरीय समिति से निर्णय लेते हुए वन पट्टा निर्गत किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–08 / व०अधि०तारां०–02 / 23– 473 राँची, दिनांक– 27.02.2023

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–202 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/02/2023

सरकार के उप सचिव।

(03)

श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० ट-09 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड के ताजपुर में शिव मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पूर्व किया गया है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि इसके प्रांगन में दो तालाब है, जिसमें एक तालाब का सौन्दर्यीकरण हुआ तथा दूसरे तालाब का सौन्दर्यीकरण नहीं कराया गया है,	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है, कि प्रति वर्ष हजारों की संख्या में वहाँ शादी विवाह होता है तथा प्रति वर्ष इस शिव मंदिर में छठव्रती छठ का अर्ध्य देते है,	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि यह बात सही है, कि आबादी बढ़ने के कारण छठव्रतियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है,	4.	स्वीकारात्मक
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित दूसरे तालाब का सौन्दर्यीकरण तथा मंदिर परिसर को पर्यटक स्थल घोषित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	5.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 389 दिनांक 23.02.2023 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त –सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, हजारीबाग को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/10/2023...415.........../राँची, दिनांक...27-02-2023...

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–197/वि०स०, दिनांक–21/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.02.23
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(64)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–02

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पाँकी विधानसभा क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में कोई भी निर्माण उद्योग या खाद्य और चारा प्रसंस्करण उद्योग नहीं है;	अस्वीकारात्मक। वर्त्तमान में पलामू जिला अन्तर्गत पाँकी विधानसभा क्षेत्र में 11 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा 01 फर्निचर निर्माण उद्योग स्थापित है।
2.	क्या यह बात सही है कि किसी भी प्रकार के निर्माण उद्योग या प्रसंस्करण उद्योग नहीं होने के कारण यहाँ के निवासियों के पास रोजगार का अभाव है तथा प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्र में निर्माण उद्योग या खाद्य और चारा प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए आवश्यक सभी कारक उपलब्ध है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड इंडिस्ट्रियल एण्ड इंवेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लगाने या निवेशकों को आमंत्रित कर उद्योग स्थापित कराकर, आम जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति–2021 एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति–2015 के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान प्रावधानित है। सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के उद्यमियों से पाँकी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे राज्य में उद्योग स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो संदर्भित नीतियों के तहत प्रावधानित सुविधाएँ/प्रोत्साहन नियमानुसार देय होंगे।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–09/23 241 /राँची, दिनांक:– 27/02/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–112 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2023
सरकार के अवर सचिव

(05)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स0वि0स0 द्वारादिनांक–28.02.2023 कोपूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–वन–10 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत एन0टी0पी0सी0 के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए Forest Clearance भारत सरकार द्वारा हाथियों के आवागमन को बाधित नहीं होने के लिए वानादाग रेलवे साइडिंग तथा कोयला ढुलाई के लिए कन्वैयर बेल्ट इस्तेमाल करने का शर्त दिया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है किForest Clearanceके शर्तों का उल्लंघन कर कन्वैयर बेल्ट बन जाने के बाद भी सड़क मार्ग से कोयला ढुलाई के लिए वन विभाग एन0टी0पी0सी0 की Transit Permitअभी तक जारी करते आ रही है;	मुख्य महाप्रबंधक, पकरी बरवाडीह एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड ने अपने पत्रांक–23 दिनांक–10.02.2023 से सूचित किया है कि विभिन्न कारणों जैसे भूमि अधिग्रहण एवं स्थानीय विधि–व्यवस्था के चलते अभी तक कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं हो पाया है फलस्वरूप उनके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक–27/29.10.2020 के प्रावधान के आलोक में तत्काल सड़क मार्गों से कोयला परिवहन किया जा रहाहै। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में Transit Permit निर्गत किया जा रहा है।
3. क्या यह बात सही है कि सड़क मार्ग से अवैध कोयला ढुलाई के दौरान दो लोगों की मौत हो चुकी है और त्रिवैनी सैनिक कंपनी ने उक्त दोनों के परिजनों को मुआवजा भी दिया है;	इस संबंध में उपायुक्त, हजारीबाग से सूचना की मांग की गई है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपायुक्त, हजारीबाग से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त, नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–21/2023– 743 व0प0, दिनांक– 27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–198, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

06

श्री मानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–03
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड–काण्डी में हरिहरपुर हाई स्कूल, प्रखण्ड–भवनाथपुर में झगड़ाखाड़ हाई स्कूल, श्री बंशीधर नगर हलीवन्ता में हाई स्कूल एवं प्रखण्ड–डण्डई में जरही हाई स्कूल अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में अर्हता पूरा करने वाले हाई स्कूल को अपग्रेड कर 10+2 इण्टर कॉलेज की स्वीकृति दिया जायेगा;	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–1471 दिनांक 15.09.2020 द्वारा राज्यान्तर्गत सरकारी +2 उच्च विद्यालयों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण कराकर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित है। सभी जिलों को राज्यान्तर्गत सरकारी +2 उच्च विद्यालयों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशालयीय पत्रांक–2313 दिनांक 28.09.2022 एवं 3079 दिनांक 07.12.2022 निर्गत है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 138 दिनांक 07.02.2023 के द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय हलिवन्ता, नगर उटारी, राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, झगराखाड़, भवनाथपुर एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जरही सहित कुल 12 विद्यालयों का +2 उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उच्च विद्यालय, हरिहरपुर, काण्डी सम्मिलित नहीं है। +2 उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण की अनुशंसा करने हेतु गठित समिति (आदेश संख्या–2938 दिनांक 21.11.2022) द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप आवश्यक निर्णय की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी हाई स्कूलों को अपग्रेड कर 10+2 इण्टर कॉलेज की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड–2 में सन्निहित है।.

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–17 / 2023.....578..... राँची, दिनांक.....27/02/2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(07)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

286
27/02/2023

श्री मंगल कालिंदी, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि–11

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड के भूला पंचायत अंतर्गत भूला ग्राम में बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रखंड के लिए झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। भवन निर्माण का कार्य झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कार्यपालक निदेशक, झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पत्रांक भ.नि.नि.यो. शिक्षा–70/2022–416 (नि.) दिनांक 30.01.2023 द्वारा पुर्नरिक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की मांग की गई है। भवन निर्माण निगम लिमिटेड को पुर्नरिक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि बोड़ाम प्रखंड के बालिकाओं को सुंदरनगर, जमशेदपुर स्थित कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय जहाँ आवासीय विद्यालय की क्षमता से अधिक छात्राएँ शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है और इसके साथ ही शौचालय एवं स्नानघरों की संख्या कम होने के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय बोड़ाम का संचालन सुन्दरनगर स्थित कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय पूर्वी सिंहभूम में किया जा रहा है। वर्तमान में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय बोड़ाम में 324 छात्राएँ नामांकित है, जिनमें से सुन्दनगर स्थिति कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय पूर्वी सिंहभूम में अतिरिक्त छात्रावास, शौचालय, स्नानागार एवं वर्गकक्ष का निर्माण कराया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2023–24 में झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से भवन निर्माण का कार्य पूरा करा लिया जाएगा।

27/2/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–71/2023 286 /राँची, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–94 दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(08)

श्री लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत्त0–07 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि, बोकारो जिला के गोमिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गोमिया प्रखण्ड में राजकीय डिग्री कॉलेज का भवन विगत कई वर्षों से बनकर तैयार है जिसमें प्राक्कलन अनुरूप गुणवतापूर्ण कार्य नहीं हुआ है जिसका उजागर महामहिम राज्यपाल द्वारा गठित समिति द्वारा भी हुआ है तथा कई त्रुटियों का निराकरण नहीं होने के कारण भवन का उद्घाटन अबतक नहीं हो पाया है तथा शैक्षणिक सत्र अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है जिसके कारण हजारों छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे है ;	अस्वीकारात्मक। उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का पत्रांक–203/बजट, दिनांक 16.11.2017 द्वारा विषयांकित निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके आलोक में झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची द्वारा निविदा निष्पादित करते हुए कार्य मेसर्स राज कन्सट्रक्शन को आवंटित किया गया। उक्त योजना के निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तिथि 15.04.2019 है। निगम द्वारा विषयांकित योजना की गुणवर्त्ता की जाँच Third Party Qualitity Control Consultant M/S WAPCOS Ltd. द्वारा कराई गई है। जाँचोपरांत कुछ त्रुटियाँ पाई गई थी, जिसका निराकरण किया गया है। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक कार्य पूर्ण करने का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। योजना पूर्ण होने के उपरांत शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

02	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त त्रुटियों का निराकरण करते हुए उक्त डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन करने हुए आगामी शैक्षणिक सत्र में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराने के साथ निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले संवेदक एवं दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची द्वारा महामहिम राज्यपाल द्वारा गठित समिति द्वारा बताये गये आंशिक त्रुटियों का निराकरण किया गया है। भवन एवं चाहरदिवारी का कार्य प्राक्कलन एवं नक्शे के अनुसार कराया गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01 / वि0स0–16 / 2023 516 / राँची, दिनांक : 27/02/2023 /

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–191, दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव

09

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–07 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि चतरा जिला के गिद्धौर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम बलबल में माता बागेश्वरी मंदिर एवं गर्म जलकुण्ड है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि इस स्थल पर मकर संक्राति के समय 15 दिवसीय पशु मेला भी लगता है एवं धार्मिक स्थल होने से बाहर एवं स्थानीय हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ, लातेहार एवं बिहार से भी काफी लोग आते हैं ,	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है, कि माता बागेश्वरी मंदिर बलबल काफी प्रचलित धार्मिक स्थल हो गया है,	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु इसे पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	विभागीय अधिसूचना संख्या 01, दिनांक 22.02.2019 द्वारा बागेश्वरी मंदिर, बलबल दुआरी श्रेणी 'C' का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। इस स्थल पर पूर्व से अतिथिशाला, शौचालय एवं चेंजिग रूम उपलब्ध है। सार्वजनिक शौचालय, सेप्टिक टैंक, पेबर ब्लॉक लेइंग, आरसीसी बेंच, सोलर स्ट्रीट लाईट इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, डीप बोरवेल अधिष्ठापन का कार्य भी जिला स्तर से कराया जा रहा है, जिसके लिये निविदा प्रकाशित किया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 09 / 2023 HIH / राँची, दिनांक 27-02-2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–195 / वि०स०, दिनांक–21 / 02 / 2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.02.23
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(10)

586
27/02/2023

श्री कोचे मुण्डा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–उत्त.–03

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत रनिया प्रखण्ड के एस.एस. 10+2 उच्च विद्यालय का भवन अति जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि एस. एस. +2 उच्च विद्यालय, रनिया, खूंटी में कुल नामांकन 706 है एवं विद्यालय परिसर में 4 खण्ड में विद्यालय भवन निर्मित है। 2 खण्ड में भवन की स्थिति अच्छी है, जिसमें 6+6, 12 वर्ग कक्ष हैं। तिसरा खण्ड, जो +2 उच्च विद्यालय खण्ड है, में 12 वर्ग कक्ष हैं, जिनकी स्थिति अच्छी है, परंतु उसके खिड़की एवं दरवाजे में मरम्मति की आवश्यकता है। उपर्युक्त 3 खण्ड में कुल 24 कमरे हैं, जो अच्छी स्थिति में हैं। शेष 1/चतुर्थ खण्ड का भवन अति जर्जर एवं दयनीय है, जिसे कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, खूंटी के पत्रांक–133 दिनांक 09.02.2023 द्वारा कंडम घोषित किया गया है, तदनुसार उक्त जर्जर भवन को धवस्त करते की कार्रवाई की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की सुविधा हेतु जो बाथरूम बना हुआ है, उसमें भी दरवाजा नहीं है। साथ ही स्कूल का दरवाजा खिड़की भी टूट कर खत्म हो गया है;	अस्वीकारात्मक। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जर्जर भवन एवं तिसरे खण्ड को छोड़कर शेष संरचना में खिड़की, दरवाजा है। तिसरे खण्ड में खिड़की–दरवाजा टूट–फूट चुका है, जिसकी मरम्मति की आवश्यकता है। विद्यालय में तीन–तीन ईकाइयों का एक–एक, बालक–बालिका, अलग–अलग प्रसाधन कक्ष है, जिसमें दरवाजा है। उसमें खिड़की नहीं है, मात्र रोशनदान एवं ग्रील है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में आवश्यक मरम्मतिकरण एवं नवनिर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–कार्यक्रम पदाधिकारी, खूंटी द्वारा सूचित किया गया है कि मरम्मति एवं नवनिर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(हस्ताक्षर)

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–24/2023 586 रॉंची, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के अवर सचिव।

(11)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–02 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि स्व० एतवा उरांव जो भारतीय वाणिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, राँची (डोरण्डा) में चालक के पद पर कार्यरत थे और उनकी मृत्यु सेवा काल के दौरान दिनांक–07.07.2002 को हो गई थी;	मामला भारतीय वाणिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, राँची (डोरण्डा) से संबंधित है, जो एक केन्द्र सरकार के अधीनस्थ संस्थान है। अतः यह प्रश्न राज्य सरकार से संबंधित नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि वर्णित संस्थान में अनुकम्पा के आधार पर नियोजन देने का प्रावधान है;	बिन्दु–01 के उत्तर के आलोक में मामला राज्य सरकार से संबंधित नहीं है।
3. क्या यह बात सही है कि स्व० एतवा उरांव के मृत्यु के 20 वर्ष उपरांत अभी तक उनके आश्रित परिजनों को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन नहीं दिया गया है;	बिन्दु–01 के उत्तर के आलोक में मामला राज्य सरकार से संबंधित नहीं है।
4.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्व० एतवा उराँव (चालक) के परिजनों को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में भारत सरकार के संबंधित कार्यालय से अनुरोध किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि०स० तारांकित प्रश्न–14/2023 738 व०प०, राँची, दिनांक– 27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–80, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/संयुक्तसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

(12)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

280
27/02/2023

श्री समीर कुमार मोहंती, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि–10

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत मध्य विद्यालयों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में लिपिक का पद सृजित नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित विद्यालयों में लिपिक का पद सृजित नहीं होने के कारण विद्यालयों के गैर–शैक्षणिक कार्य भी प्रभारी प्रधानाध्यापकों को करना पड़ता है, जिससे विद्यालय संचालन की दैनिक गतिविधि के साथ–साथ पठन–पाठन की क्रिया भी बाधित होती है;	अस्वीकारात्मक। विद्यालय के शैक्षणिक कार्य की अवधि पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक निर्धारित है। विद्यालय में शैक्षणिक कार्य अवधि की समाप्ति के उपरांत शिक्षकों द्वारा विद्यालय के गैर–शैक्षणिक कार्य हेतु अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक कार्य के उपरांत विद्यालय के दैनिक गैर–शैक्षणिक कार्य किये जाने से पठन–पाठन का कार्य प्रभावित नहीं होता है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित विद्यालयों में लिपिक का पद सृजित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के प्राथमिक मध्य विद्यालयों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी का पद सृजित नहीं है और न ही सम्प्रति कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

27/2/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–72/2023 280 /राँची, दिनांक 27.02.2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–95 दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(13)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–09 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य का नेतरहाट, महुआडांड़, गारू, बारेसाढ तथा बेतला का इलाका हरे–भरे जंगलों, वन्य प्राणियों, बहु ऋतु जलप्रपात तथा मध्यम जलवायु से आच्छादित है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पर्यटक स्थलों पर देशभर के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ भ्रमण को आते हैं;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत् क्या सरकार नेतरहाट से बेतला तक पर्यावरणीय पर्यटन (Eco Tourism) सर्किट के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इको–टूरिज्म के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेतला एवं नेतरहाट में विभिन्न योजनाओं से पर्यटकों की सुविधा हेतु विभिन्न कार्य कराये जा रहे हैं।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–20/2023 746 व0प0, दिनांक– 27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–199, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(14)

श्री राजेश कच्छप, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–05 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखंडाधीन छः (6) पंचायत क्रमशः बरवादाग, जोन्हा, राजाडेरा, बीसा, बोंगईवेड़ा तथा टाटी के आवेदकों को आजतक सामुदायिक वन अधिकार पट्टा जारी नहीं किये गये हैं;	उपायुक्त, राँची के पत्रांक–184/ITDA, दिनांक–27.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि राँची जिला के अनगड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत बोगईबेड़ा पंचायत में सामुदायिक वन पट्टा वन वर्ष 2012 में निर्गत किया गया है। जिसका खाता संख्या–274, प्लॉट सं०–2954, रकबा 0.10 एकड़ है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में अनगड़ा प्रखण्ड के अन्य दो पंचायतों (1) हेसातु पंचायत के ग्राम–मलधोसा के खाता संख्या–179, प्लॉट संख्या–1545, 3796 रकबा 2.020 एकड़ तथा (2) नवागढ़ पंचायत के ग्राम–रंगामाटी के खाता संख्या–74, प्लॉट संख्या–726 रकबा–2.500 एकड़ का सामुदायिक वन पट्टा निर्गत किया गया है। अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से बरवादाग, जोन्हा, राजाडेरा, बीसा एवं टाटी से सामुदायिक वन पट्टा का दावा अप्राप्त है। विशेष ग्राम सभा आयोजित कर नया दावा सृजन कर उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1611, दिनांक–16.01.2023 द्वारा सभी अंचल अधिकारी को पत्र लिखा गया है। दावा प्राप्त होते ही शीघ्र पट्टा निर्गत की कार्रवाई की जायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–01 में वर्णित पट्टा वितरण से संबंधित सभी प्रकार की नियमसम्मत विभागीय जाँच पूर्ण होने के बावजूद पट्टा वितरण को वर्ष 2021 से लंबित रखे जाने के कारण आवेदकों में निराशा है;	उपायुक्त, राँची के पत्रांक–184/ITDA, दिनांक–27.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से अनगड़ा प्रखण्ड के पंचायत–बरवादाग, जोन्हा, राजाडेरा, बीसा एवं टाटी से सामुदायिक वन पट्टा का दावा अप्राप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सामुदायिक वनाधिकार पट्टा जारी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	आवेदन प्राप्त होने पर वनाधिकार अधिनियम, 2006 अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–08/व०अधि०तारां०–01/23– 472 राँची, दिनांक– 27.02.2023

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–81 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/02/2023

सरकार के उप सचिव।

D:\Vidhan sabha 2023 ans letter.docx2

(15)

282
27/02/2023

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित
प्रश्न संख्या शि–14

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य में नीति आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के एक हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई थी;	स्वीकारात्मक । नीति आयोग द्वारा राज्य के 1000 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है। स्मार्ट क्लास संचालन संबंधी कार्यवाही करते हुए वर्ष 2022–23 से योजना संचालन प्रारंभ किया जा चुका है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित स्कूलों में अब तक राज्य के 180 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसमें साहेबगंज जिले के 17 विद्यालया भी शामिल है;	आंशिक स्वीकारात्मक । 1000 विद्यालयों में 951 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन पूर्ण किया जा चुका है एवं स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है। शेष 49 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है एवं अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण होते ही वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्मार्ट क्लास संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। साहेबगंज जिला अन्तर्गत उक्त योजना के तहत 56 विद्यालयों शामिल है जिसमें से 51 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन पूर्ण किया जा चुका है एवं स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है। शेष 5 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है एवं अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण होते ही वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्मार्ट क्लास संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–2 में वर्णित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ कर स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हाँ । शेष विद्यालयों में अधिष्ठापन शीघ्र पूर्ण करवाते हुए वर्णित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ कर स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण षिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

Khurshid
27/2/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
ज्ञापांक : 16 / वि.2–83 / 2023-282 / राँची, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–187 दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Khurshid
27/2/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(17)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–03 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला स्थित हजारीबाग वन्य आश्रयणी क्षेत्र का 186.25 वर्ग किलोमीटर विस्तार कर इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से हजारीबाग जिला के कटकमसांड़ी प्रखण्ड के 76 गाँव, ईचाक के 81 गाँव, पदमा के 30 गाँव, बरही के 10 गाँव, बरकटठा के 08 गाँव, टाटीझरिया के 2 गाँव, सदर प्रखण्ड के 01 गाँव तथा चतरा जिला के सिमरिया एवं पत्थलगड्डा के 04 गाँव, मयूरहंट प्रखण्ड के 02 गाँव कुल–218 गाँवों के 573.86 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिस कारण इन क्षेत्रों में उद्योग धंधे पत्थर खदान व क्रेशर, पेट्रोल पंप, होटल आदि धंधे बंद हो जाने से व्यापक रूप से आम गरीब जनता के बीच भूखमरी व बेरोजगारी की समस्या हो गयी है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। ESZ की अधिसूचना की कंडिका–4 में विभिन्न वाणिज्यिक क्रियाकलापों को तीन श्रेणियों में वर्णित किया गया है जिसमें श्रेणी 'क' में वैसे सभी क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया है जो वृहत् पैमाने पर प्रदूषण फैलाते है। वन्यप्राणी आश्रणियों के समीप रह रहे समुदाय मुख्य रूप से वनों पर आश्रित होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि औद्योगिक गतिविधियों से वन्य संपदा का ह्रास होता है तो इसका सीधा प्रभाव वहाँ पर निवास करने वाले समुदायों के उपर पड़ता है। अतः प्राकृतिक पर्यावास को कम से कम नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से ही ऐसी गतिविधियों के उपर रोक लगायी है तथा इनके स्थान पर वैसे गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है जिसमें कम प्रदूषण होते हैं यथा इको टूरिज्म, कुटीर उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतो का उपयोग इत्यादि।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त सेंसिटिव जोन क्षेत्र के निर्गत आदेश को संशोधित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ESZ के संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–12/2023–737 व0प0, दिनांक–27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–85, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(18)

श्री उमा शंकर अकेला, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत्त0–11 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि, कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज के भवन का निर्माण वर्ष 2015–16 में संवेदक के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका निर्माण कार्य आज भी चल रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा चंदवारा प्रखण्ड अन्तर्गत डिग्री कॉलेज, बरही का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रारंभ करने की तिथि 26.11.2018 है तथा वर्तमान में योजना की भौतिकी प्रगति 99 प्रतिशत है।
02	क्या यह बात सही है कि भवन के निर्माण में दो नम्बर ईट को इस्तेमाल किया गया है तथा भवन भी अधूरा है ;	अस्वीकारात्मक। झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा विषयांकित योजना की गुणवत्ता की जाँच Third Party Qualitity Control Consultant M/S WAPCOS Ltd. द्वारा कराई गई है। जाँचोपरांत कुछ त्रुटियाँ पाई गई थी, जिसका निराकरण कर दिया गया है। विषयांकित योजना का शेष कार्य दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाँच कर संबंधित संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–01 एवं 02 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–18/2023 515 / राँची, दिनांक : 27/02/2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–192, दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव

(19)

डॉ0 नीरा यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-उत-01 का उत्तर :-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत क्रमशः डोमचांच, मरकच्चो, तथा सतगांवा प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय बनकर तैयार है,	आंशिक स्वीकारात्मक। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत महिला कॉलेज, डोमचांच का हस्तांतरण हो गया है। झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, झारखंड, रांची के प्रगति प्रतिवेदन (माह जनवरी 2023) के आधार पर मॉडल कॉलेज, मरकच्चो का भवन निर्माण का कार्य 97% पूर्ण है। डिग्री महाविद्यालय, सतगांवा का भवन के हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड(1) में वर्णित डिग्री महाविद्यालय में पठन-पाठन व्यवस्था प्रारम्भ नहीं होने के कारण तथा शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पदस्थापन नहीं होने के कारण यहाँ के छात्र-छात्राओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हो रही है,	आंशिक स्वीकारात्मक। महिला कॉलेज, डोमचांच में पठन-पाठन का कार्य जे0जे0 कॉलेज, झुमरीतिलैया, कोडरमा के शिक्षकों तथा घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा कार्यालय कार्य संचालित की जा रही है। घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है। शिक्षकेत्तर कर्मियों का आरक्षण रोस्टर स्वीकृत हो चुका है एवं नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित डिग्री महाविद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पदस्थापन कराते हुए पठन-पाठन का कार्य अविलंब कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका-1 तथा 2 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक-01/वि0स0-12/2023.....510...../ राँची, दिनांक 26/02/2023

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक-109, दिनांक-21.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/23

(सुरेश चौधरी)

सरकार के उप सचिव।

(20)

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत0–08 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि, जामताड़ा जिला एक अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है एवं जामताड़ा जिला नारायणपुर प्रखण्ड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे यहाँ के छात्र–छात्राओं को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा एवं जामताड़ा संध्या महिला महाविद्यालय (संबद्धता प्राप्त) संचालित है, जहाँ छात्र–छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है।
02	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखण्ड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में प्रखंडवार डिग्री महाविद्यालय खोलने का राज्य सरकार का निर्णय नहीं है। इसके अतिरिक्त Gross Enrolment Ratio (GER) को देखते हुए जिलावार अतिरिक्त महाविद्यालयों की स्थापना हेतु योजना तैयार की जा रही हैं।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–17/2023 512 / राँची, दिनांक : 26/02/2023/

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–193, दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव

575
27/02/2023

डॉ. लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–15

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है राज्य के बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सारी अर्हताओं को पूरी करने के बावजूद मध्य विद्यालय कथारा, चिदरी, होसिर, हजारी, रहावन, चुटटे, झुमरा पहाड़, बाँधहुरदाग, झिरकी, कण्डेर, तिलैया, बड़की सिंधावारा, लालबाँध, खखण्डा, डुमरी बिहार, हुरलुंग केरी, कुरको एवं चरगी, को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित नहीं किये जाने के कारण हजारों छात्र–छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा क्षेत्र में प्रखण्डवार, 1. गोमिया–13, 2. कसमार – 12 एवं 3. पेटरवार–12 उच्च विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 05 किमी0 की परिधि तथा 5000 की आबादी पर एक माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित है। तत्संबंधी अधिसूचना संख्या–2748 दिनांक 18.11.2008 में निर्धारित शर्तों के आलोक में प्रखण्ड स्तर पर अवस्थित सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के आलोक में आवश्यकता का आकलन कर अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला को निदेशालयीय पत्रांक–251 दिनांक 05.02.2021 प्रेषित है। उक्त के आलोक में बोकारो जिला से प्राप्त प्रस्ताव की, विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा की गयी समीक्षा तथा विभागीय संकल्प संख्या 2215 दिनांक 29.10.2022 के प्रावधान के आलोक में चयनित पंचायत स्तरीय ऐसे आदर्श विद्यालय जिनमें छात्र संख्या 100 या 100 से अधिक हो, के उत्क्रमण हेतु चयनोपरांत, बोकारो जिला के 34 मध्य विद्यालयों के उच्च विद्यालय में उत्क्रमण का प्रस्ताव विचाराधीन है। मध्य विद्यालय चुटटे, झुमरा पहाड़, लालबांध विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुशंसित है। शेष 02 विद्यालय पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय के रूप में चयनित हैं। उक्त विद्यालय के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक–337 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि – RAJ. MS HOSIR से नजदीकी संचालित उच्च विद्यालय की दूरी 05 किमी0 से कम है तथा UPG. RAJ. MS KERI से नजदीकी संचालित उच्च विद्यालय की दूरी 05 किमी0 है। अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो के उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में तथा उत्क्रमण संबंधी अधिसूचना संख्या–2748 दिनांक 18.11.2008 में निहित शर्तों के आलोक में समीक्षोपरांत उक्त विद्यालयों के उत्क्रमण की अनुशंसा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सारी अर्हताओं को पूरी करने के बावजूद उत्क्रमित उच्च विद्यालय, काटमकुल्ही, तिरला बड़की, पुन्नू कण्डेर –धवैया, लावालोंग कुर्कनालो, कधुकरपुर एवं बरइकला को +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित नहीं किये जाने के कारण हजारों छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में गोमिया प्रखण्ड में कुल 03 एवं कसमार प्रखण्ड में 03 तथा पेटरवार प्रखण्ड में कुल 04 सरकारी +2 उच्च विद्यालय संचालित है, जहाँ छात्र–छात्राओं को +2 उच्च विद्यालय की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही राज्यान्तर्गत सरकारी +2 उच्च विद्यालयों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण कराकर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–1471 दिनांक 15.09.2020 द्वारा जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित है। सभी जिलों को राज्यान्तर्गत सरकारी +2 उच्च विद्यालयों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशालयीय पत्रांक–2313 दिनांक

डॉ. लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–15

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	रहा है;	28.09.2022 एवं 3079 दिनांक 07.12.2022 निर्गत है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक 53 दिनांक 10.01.2023 के द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय, लावालोंग एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पुन्नू सहित कुल 04 विद्यालयों का +2 उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उत्क्रमित उच्च विद्यालय मधुकरपुर एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बरईकेला को जिलास्तर पर गठित समिति द्वारा इन विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में कोई उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण उत्क्रमण के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया है। पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक–1562, दिनांक–30.09.2020 के माध्यम से +2 उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण हेतु प्रेषित प्रस्ताव में उत्क्रमित उ0वि0 धवैया एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कुर्कनालो को जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा इन विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में कोई उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण उत्क्रमण के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय, तिरला एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, काटमकुल्ही का +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु निदेशालीय पत्रांक 3060 दिनांक 06.12.2022 के माध्यम से पुनः प्रस्ताव प्राप्त किया गया। प्राप्त प्रस्तावों पर +2 उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण की अनुशंसा करने हेतु गठित समिति (आदेश संख्या–2938 दिनांक 21.11.2022) द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप निर्णय की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय तथा उच्च विद्यालयों को +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है।

27/02/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–36 / 2023..575.......... राँची, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/23

सरकार के अवर सचिव।

22

580
27/02/2023

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–20

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है वर्ष 2018 से 200 (दो सौ) इण्टर कॉलेज, उच्च विद्यालयों संस्कृत विद्यालयों के प्रस्वीकृति की संचिका प्रस्वीकृति के लिए लम्बित है;	अस्वीकारात्मक। अवर सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, रांची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि निदेशालय स्तर पर प्रस्वीकृति हेतु लंबित 94 प्रस्तावों की समीक्षा निदेशालय स्तरीय समिति के द्वारा की गई है तथा प्रस्वीकृति के मापदण्डों को पूर्ण करने वाले 46 माध्यमिक विद्यालयों, 11 +2 उच्च विद्यालयों (इंटरमीडिएट महाविद्यालयों), 05 संस्कृत विद्यालयों एवं 01 मदरसा संस्थानों को जनवरी, 2023 में प्रस्वीकृति प्रदान की गई है। शेष प्राप्त प्रस्तावों पर विचार एवं स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रस्वीकृति नहीं मिलने से अध्ययनरत लाखों छात्र/छात्राएँ सरकारी लाभ से वंचित हो जाते हैं;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि इसमें अध्ययनरत छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़े वर्ग के हैं;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों को प्रस्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका–1 में सन्निहित है।

27/02/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–32/2023 580 रॉंची, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/23

सरकार के अवर सचिव।

(23)

S82
27/02/2023

श्री अमित कुमार मंडल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–09

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के राजकीयकृत मध्य उच्च +2 विद्यालयों में विकास फंड की राशि पड़ी हुई है, जिससे आधारभूत संरचना सुदृढ़ किया जा सकता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक 2114 दिनांक 29.12.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गोड्डा जिले के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में विकास कोष की कुल राशि रु. 4,21,87,565/– (चार करोड़ इक्कीस लाख सत्तासी हजार पांच सौ पैसठ रु.) मात्र संचित है।
2.	क्या यह बात सही है कि सभी राजकीयकृत मध्य उच्च +2 विद्यालय के अध्यक्ष, जो कि संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक होते हैं, की अध्यक्षता में विकास फण्ड का पैसा विद्यालय के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने में किया जा सकता है, जो विभाग के उदासीन रवैये के कारण नहीं हो पा रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 157 दिनांक 16.01.2023 के द्वारा सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को मानक के अनुरूप सुदृढ़, स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने, उनकी मानक संरचनां निर्माण में उपयोग करने, विद्यालय की प्रबंध समिति/बाल संसद के द्वारा विद्यालय को और अधिक जीवन्त विद्यालय के रूप में विकसित करने तथा उनकी वर्त्तमान आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर योजनाबद्ध रूप से विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विद्यालय के विकास कोष, छात्र कोष एवं विद्यालय में अनुदान की संचित राशि (ब्याज राशि को छोड़कर) का उपयोग करने हेतु सभी जिलों को निदेशित किया गया है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 158 दिनांक 16.01.2023 द्वारा इस क्रम में खाते के रख–रखाव, अपव्यय एवं अनियमितता से सुरक्षा तथा जवाबदेही के संबंध में भी सतर्कता बरते जाने के संबंध में आवश्यक निदेश दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोड्डा विधानसभा के अन्तर्गत सभी राजकीयकृत मध्य उच्च +2 विद्यालय के विकास कोष की राशि का ब्यौरा देते हुए संबंधित DSE/DEO को विकास फण्ड की राशि खर्च करने का दिशा निर्देश देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त कंडिकाओं में सन्निहित है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–21/2023 S82 राँची, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(24)

581
27/02/2023

श्री केदार हजरा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–05

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ विधान सभा क्षेत्र के जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चितरडीह, जिसका उत्क्रमण वर्ष 2006 में ही किया गया है;	स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक 1989 दिनांक 15.09.2006 के द्वारा वर्ष 2006 में इस विद्यालय का उच्च विद्यालय में उत्क्रमण किया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में अंकित विद्यालय में छात्रों की संख्या करीब 1500 तक है, लेकिन उच्च विद्यालय के अनुरूप भवन नहीं रहने से स्थानीय छात्र–छात्राओं को शिक्षण कार्य में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के ज्ञापांक 654 दिनांक 26.02.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उत्क्रमित उच्च विद्यालय चितरडीह, जमुआ में कक्षा–01 से 08 तक कुल नामांकित छात्र संख्या–392 तथा कक्षा 09 से 10 में कुल नामांकन 481 है। सकल नामांकन 873 है। प्रतिवेदन के अनुसार विद्यालय में कुल 12 वर्ग कक्ष तथा 02 अन्य कमरे कक्ष उपलब्ध हैं, जिसमें जिला अनाबद्ध निधि से वर्ग–9 एवं 10 के लिए निर्मित 04 वर्ग कक्ष सम्मिलित हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चितरडीह में छात्र–छात्राओं की संख्या के अनुरूप विद्यालय भवन का निर्माण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह के स्तर से प्राक्कलन तैयार कराये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रशासी पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार प्राक्कलन के अनुरूप भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव समर्पित किये जाने की कार्रवाई की जानी है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–23 / 2023 581 राँची, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(25)

श्री कमलेश कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–12 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद का भवन अक्टूबर, 2022 में ही बनकर तैयार हो चुका है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित भवन निर्माण की एजेंसी कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पी0आई0यू0, पलामू के द्वारा संबंधित विभाग को भवन हस्तगत करने हेतु पत्राचार किया गया है, परंतु 31 जनवरी 2023 तक भवन हस्तगत नही किया गया है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रांची के द्वारा 3rd पार्टी निरीक्षण प्रतिवेदन नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद के निर्मित भवन को हस्तगत करा कर यथाशीघ्र पठन–पाठन कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद के भवन के हस्तांतरण की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–19/2023 514 /

रॉची, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–194 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

26

284
27/02/2023

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

डॉ. नीरा यादव, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत–02

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला के प्रखंड कोडरमा अंतर्गत बेकोवार में शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय (डायट) का भवन बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पद सृजन नहीं रहने से तथा पदस्थापन नहीं होने के कारण महाविद्यालय में पठन–पाठन व्यवस्था प्रारंभ नहीं हो पाई है, जिससे स्थानीय छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से वंचित रहना पड़ रहा है;	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कोडरमा (बेकोवार) में शिक्षक के 12 पद सृजित हैं। डायट कोडरमा में कोडरमा जिला के छः (06) शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया गया है, जो संस्थान में कार्यरत हैं। प्राचार्य के प्रभार में क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा कार्यरत है। डायट कोडरमा में शिक्षकेत्तर कर्मियों का पद सृजित नहीं है, लेकिन JEPC के द्वारा श्रीमती भुवनेश्वरी कुमारी को अनुबंध पर अनुसेवक के रूप में रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बी.एड. समेकित (दो वर्षीय/चार वर्षीय) कोर्स चलाया जाना है। डी.एल.एड. (Diploma in Elementary Education) कोर्स हेतु एन.सी.टी.ई. (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्) द्वारा मान्यता नहीं दी जा रही है। तत्काल डायट कोडरमा में सेवाकालीन प्रशिक्षण, शोध, अन्य प्रशिक्षण, विज्ञान मेला, क्वीज, ई–कन्टेंट निर्माण आदि का कार्य किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय (डायट) हेतु शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों को सृजन का पठन–पाठन (शिक्षक–प्रशिक्षण) कार्य अविलंब कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निदेशानुसार पद सृजन की कार्रवाई नये सिरे से प्रक्रियाधीन है।

27/02/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–80/2023 284 /राँची, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–110 दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/02/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(27)

श्री निरल पुरती, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या उत–06 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमण्डल अन्तर्गत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावॉ जिलों में सिर्फ को–ऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर में ही लॉ कॉलेज है जहॉ विधि की पढ़ाई होती है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम स्थित डिग्री कॉलेज मंझगॉव के भवन अतिरिक्त कमरा उपलब्ध है जिसमे विधि की पढ़ाई हो सकती है,	आंशिक स्वीकारात्मक। डिग्री महाविद्यालय में विधि की पढ़ाई प्रारम्भ कराने हेतु बार काउन्सिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार मुख्य रूप से अलग जमीन एवं भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित डिग्री कॉलेज में विधि की पढ़ाई करना चाहती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–2 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–13/2023 509 / रॉची, दिनांक 26/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–111 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(28)

574
27/02/2023

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–22

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिले में हाई स्कूल में कार्यरत 460 शिक्षकों सहित राज्य के अन्य जिलों के 5537 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि अबतक लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक 356 दिनांक 25.02.2023 के अनुसार गोड्डा जिले में उच्च विद्यालयों में कार्यरत 625 शिक्षकों में से 557 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की जा चुकी है। शेष 68 शिक्षकों की न्यूनतम् 02 वर्षो की सेवा पूर्ण नहीं हुई है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 482 दिनांक 23.02.2023 के आलोक में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल 11060 स्नातक प्रशिक्षित उच्च विद्यालय शिक्षकों में से विगत माह तक 5275 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि का कार्य जिला स्तर पर पूर्ण कर लिया गया था एवं शेष की सेवा संपुष्टि की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद गैर अनुसूचित तिले में नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को अनुसूचित जिलों में पदस्थापित होने के अवसर देने के प्रावधान किया गया है, परन्तु बिना सेवा सम्पुष्टि के जिला परिवर्तन में शिक्षकों के भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। माननीय उच्चतम् न्यायालय का निर्णय शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति से संबंधित है, अतएव सेवा संपुष्टि के उपरांत ही अनुसूचित जिले में पदस्थापन से संबंधित कोई भी आदेश/निदेश नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सभी शिक्षकों की सेवा सम्पुष्टि का अपील किया गया है;	इस खण्ड का उत्तर कंडिका–01 में निहित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सेवा सम्पुष्ट के लंबित विषय को अविलम्ब दूर करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए गैर अनुसूचित जिले में नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को अनुसूचित जिलों में पदस्थापित होने के अवसर देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त खण्डों में सन्निहित है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–38 / 2023.....574..... राँची, दिनांक.....27/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/23

सरकार के अवर सचिव।

29

589
27/02/2023

श्री जिगा सुसारन होरो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–18

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है सिसई विधान सभा अन्तर्गत भरनो प्रखण्डाधीन पाबेया रा0उ0उ0 विद्यालय में माध्यमिक कक्षा तक 10–12 कि0मी0 के दायरे के बच्चे पठन–पाठन कर रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय +2 में उत्क्रमित होने की सभी अर्हतायें पूरी करती है;	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–1471 दिनांक 15.09.2020 द्वारा राज्यान्तर्गत सरकारी +2 उच्च विद्यालयों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण कराकर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित है। माध्यमिक विद्यालयों के +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु विभाग स्तर पर निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित हैं – 1. 10000 (दस हजार) की आबादी पर तथा प्रत्येक 7–8 किलोमीटर की परिधि में एक +2 विद्यालय की अनुशंसा की जाय। 2. यदि 7–8 किलोमीटर की परिधि में कोई स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय संचालित हो, तो +2 विद्यालय में उत्क्रमण की अनुशंसा नहीं की जायेगी। 3. जिस विद्यालय में उत्क्रमण हेतु अनुशंसा किया जाना है, वहाँ अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। 4. जिस भूखण्ड में वर्तमान भवन स्थापित है, उसका रकबा, कमरों की संख्या एवं नामांकित विद्यार्थियों की संख्या भी अंकित की जायेगी। 5. जिस विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने की अनुशंसा की जानी है, उसके 7–8 किलोमीटर की परिधि में (पोषक क्षेत्र) कम–से–कम तीन माध्यमिक विद्यालय का होना आवश्यक है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय +2 में उत्क्रमित होने से 10–12 कि0मी0 दूर दराज के बच्चों को बेहतर उच्च शिक्षा मिल पायेगा;	वस्तुस्थिति यह है कि सभी जिलों को राज्यान्तर्गत सरकारी +2 उच्च विद्यालयों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशालयीय पत्रांक–2313 दिनांक 28.09.2022 एवं 3079 दिनांक 07.12.2022 निर्गत है। संबंधित जिला से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर +2 विद्यालयों में उत्क्रमण की अनुशंसा करने हेतु गठित समिति (आदेश संख्या–2938 दिनांक 21.11.2022) द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप आवश्यक निर्णय लेते हुए विभाग को अनुशंसा उपलब्ध कराया जाना है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–03 में वर्णित विद्यालय को +2 में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक 369 दिनांक 24.02.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उनके कार्यालय को इससे संबंधित सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही उनके द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष मामले को रखते हुए आवश्यक निर्णय/अनुमोदनोपरांत विभाग को समर्पित किये जाने के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–37 / 2023 589 राँची, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(30)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स0वि0स0 द्वारादिनांक–28.02.2023 कोपूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–11 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने पत्रांक–1063, दिनांक–22 मार्च, 2022 को एन0टी0पी0सी0 के अधिकारियों पर Forest Clearanceके शर्तों के खिलाफ 37.20 हेक्टेयर भूमि अवैध खन्न के दोषियों पर तीन बिन्दुओं पर कार्रवाई के लिए CF हजारीबाग को पत्र लिखा गया था ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पत्र/अनुशंसा को बदल कर पश्चिमी वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने पत्रांक–1855, दिनांक–03 जून, 2022 की अवैध खन्न के दोषियों को बचाते हुए किसी को भी दोषी नहीं मानते हुए जुर्माना लगाने की अनुशंसा CFहजारीबाग से किये थे ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग ने पत्रांक–2094, दिनांक–29 जून, 2022 को अवैध खन्न की बात छुपाकर और पूर्व में वरीय अधिकारियों के निर्देश को दरकिनार कर Forest Clearanceके शर्तों के संशोधन के लिए CFहजारीबाग को अनुशंसा कर दिया है;	अस्वीकारात्मक। वर्णित पत्र संख्या वास्तव में 2094 दिनांक–29.06.2020 है। इस पत्र में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा स्टेज–I के शर्त संख्या–7 एवं स्टेज–II के शर्त संख्या–8 के संशोधन हेतु समर्पित प्रस्ताव को अग्रसारित किया गया है। तदोपरांत वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की सूचना राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या पश्चिमी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबागग और एन0टी0पी0सी0/त्रिवैनी सैनिक के लिए अधिकारियों के खिलाफ झुठी अनुशंसा और गलत रिपोर्ट बनाने के लिए कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	एन.टी.पी.सी. की पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में भारत सरकार से स्टेज–II में लगाये गए शर्त संख्या–8 का उल्लंघन करते हुए दुमुहानी नाला बेड में कुल–37.20 हे0 भूमि पर अवैध खनन किया गया है, जिसकी सूचना पूर्ण विवरणी के साथ राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समर्पित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भी इस मामले को Forest Advisory Committee की बैठक में रखा जा चुका है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आदेश–F.No-8-56/2009-FC.Pt. दिनांक–28.12.2022 के माध्यम से जांच हेतु चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक–17.02.2023 द्वारा उक्त समिति को प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने का अनुरोध भी किया गया है। इस समिति का स्थल भ्रमण भी निकट भविष्य में संभावित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–22/2023–745 व0प0, दिनांक–27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–201, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अमर कुमार सिंह 27/2/23

(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(31)

श्री जिगा सुसारन होरो, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–28.02.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–10 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री जिगा सुसारन होरो, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत कामडारा प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कार्य वर्ष 2015–16 में प्रारंभ किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण है, जिसके कारण प्रखण्ड स्तरीय खेल प्रतिभायें प्रभावित हो रही है;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2015–16 में गुमला के कामडारा प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम की स्वीकृति दी गई थी जो पूर्ण है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त खण्डों में अंकित विषय की गंभीरता के मद्देनजर स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने का का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–1 एवं 2 में अंतर्निहित है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–11/2023 409 / राँची, दिनांक 27-02-2023

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–196/वि०स०, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/02/2023

सरकार के उप सचिव

(32)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2023 कोपूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–04 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है हजारीबाग जिला अन्तर्गत एन0टी0पी0सी0 द्वारा बगैर क्लीयरेंस के 100 एकड़ जंगल में अवैध कोयला खनन् किया गया है, जिससे जीवन रेखा/दोमुहानी नाला/नदी को बर्बाद कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला में चल रही एन.टी.पी.सी.के पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए दुमुहानी नाला बेड में कुल 37.20 हे0 भूमि पर अवैध खनन किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में खान एवं खनिज अधिनियम, वन अधिनियम, वन्यप्राणी अधिनियम एवं वन संरक्षण अधिनियम की अनदेखी कर अवैध रूप से खनिज निकालने के कारण आई0पी0सी0 की धाराओं का उल्लंघन किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में फॉरेस्ट केस और एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करते हुए एन0टी0पी0सी0 पर मात्र पेनल्टी लगा कर खानापूर्ति की गई है;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एन0टी0पी0सी0 के दोषी अधिकारियों और कर्मियों पर उपर्युक्त कंडिका–2 मे वर्णित अधिनियमों और आई0पी0सी0 की धाराओं मे फॉरेस्ट केस और एफ0आई0आर0 दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई कर जंगल और खनिज की क्षति पर लगाम लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक; नहीं तो क्यों?	एन.टी.पी.सी. की पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में भारत सरकार से स्टेज–II में लगाये गए शर्त संख्या–8 का उल्लंघन करते हुए दुमुहानी नाला बेड में कुल–37.20 हे0 भूमि पर अवैध खनन किया गया है, जिसकी सूचना पूर्ण विवरणी के साथ राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समर्पित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भी इस मामले को Forest Advisory Committee की बैठक में रखा जा चुका है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आदेश–F.No-8-56/2009-FC.Pt. दिनांक–28.12.2022 के माध्यम से जांच हेतु चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक–17.02.2023 द्वारा उक्त समिति को प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने का अनुरोध भी किया गया है। इस समिति का स्थल भ्रमण भी निकट भविष्य में संभावित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–11/2023–744 व0प0, दिनांक–27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–83, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23
(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(34)

श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–08 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर है एवं एक शोध के अनुसार राज्य में निवासियों का जीवनकाल लगभग 4 वर्ष कम हो गया है;	अस्वीकारात्मक। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा National Clean Air Program के तहत् पुरे देश में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्यकम चलाया जा रहा है। उक्त के तहत् झारखण्ड राज्य के तीन शहरों यथा धनबाद, जमशेदपुर एवं राँची को चिन्हित किया गया है। वर्ष 2017–2018 की तुलना में वर्ष 2021–2022 में इन तीनों शहरों के PM_{10} Concentration के आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में सैकड़ों एकड़ वन क्षेत्र प्रतिदिन काटे जा रहे हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वनों की कटाई की रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण की गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–19/2023– 739 व0प0, दिनांक– 27/02/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप स0–200, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अमर कुमार सिंह 27/2/23
(अमर कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

35

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

287
27/02/2023

श्री कोचे मुण्डा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या शि–07

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत तोरपा प्रखंड में राजकीयकृत मध्य विद्यालय, सोन्दारी में वर्ग 1 से 8 तक कक्षा संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान सत्र 2022–23 में कुल 214 छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा एक वर्ग कक्ष पर स्मार्ट क्लासरूम एवं एक वर्ग कक्ष को ICT Lab के रूप में अधिकृत किया गया है, जिसके कारण अब विद्यालय में शेष बचे पाँच वर्ग कक्ष में कक्षा 1 से 8 तक का संचालन करने में कठिनाई हो रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि खूँटी जिला अंतर्गत तोरपा प्रखंड के राजकीयकृत मध्य विद्यालय, सोन्दारी वर्तमान में कुल सात (07) वर्ग कक्ष हैं, जिनमें से एक वर्ग कक्ष में ICT Lab तथा दूसरे वर्ग कक्ष में स्मार्ट क्लास संचालित है। शेष पाँच वर्ग कक्ष में ही पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। ICT Lab तथा स्मार्ट क्लास के कक्ष में भी कक्षाएँ संचालित की जा सकती है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सही ढंग से विद्यालय संचालन करने हेतु पाँच कमरों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2023–24 में अतिरिक्त तीन कमरे का निर्माण करा दिया जाएगा।

Sinha
27/2/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16 / वि.2–76 / 2023 287 / राँची, दिनांक 27/02/ 2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–96 दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sinha
27/2/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(36)

285
27/02/2023

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री नवीन जयसवाल, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.02.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि–13

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि 1. श्री बिरसा उराँव, 2. श्री पंचु उराँव, 3. एनाकुमल अंसारी, 4. श्री राम किशोर मिंज, 5. श्री सकलदेव सिंह वर्ष 1992 से दिसम्बर 2022 तक लगभग 30 वर्षों से संविदा के आधार पर डायट, रातु राँची में चतुर्थवर्गीय कर्मी के पद पर अपनी सेवा देते आ रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त सभी कर्मियों को उनकी सेवा विस्तार के आधार पर हर माह वेतन उनके बैंक खाते में दिया जाता था, परन्तु उक्त सभी कर्मियों की माह जुलाई 2021 से माह दिसम्बर 2022 तक 19 माह का वेतन लंबित है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि कोर्ट के आदेशानुसार 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक काम करने वाले संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कर्मियों की माह मई 2021 से माह दिसम्बर 2022 तक 19 माह का लंबित वेतन देने का एवं इनकी सेवा नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि डब्लू.पी.(एस.) संख्या 6337/2004 में दिनांक 24.03.2022 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय सकारण आदेश संख्या 2423 दिनांक 04.11.2022 के आलोक में डायट, रातु में ठेके पर कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मी यथा– श्री राम किशोर मिंज, श्री एनामुल अंसारी, श्री बिरसा उराँव, श्री शकलदेव सिंह तथा श्री पंचु उराँव के पक्षों की सुनवाई के उपरांत निदेशालीय आदेश संख्या 2839 दिनांक 30.12.2022 द्वारा विभागीय आदेश संख्या 2423 दिनांक 04.11.2022 में निहित आदेश के आलोक में वास्तविक कार्यावधि के अनुमान्य पारिश्रमिक का भुगतान करते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त

		चतुर्थवर्गीय कर्मी को केन्द्र प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के तहत बिना स्वीकृत पद के ही अस्थायी एवं अनियमित रूप से एक नियत अवधि के लिए एकमुस्त पारिश्रमिक पर ठेके पर रखे गये थे तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार उनकी सेवा विस्तार की गई थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के बंद होने के उपरांत दिनांक 31.03.2006 से उक्त कर्मियों की सेवा का विस्तार नहीं किया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या 699 दिनांक 28.06.2008 के आलोक में उक्त चतुर्थवर्गीय कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान केन्द्र प्रायोजित योजना शिक्षक शिक्षा योजना में उपलब्ध राशि से जून 2021 तक किया जा चुका है। जुलाई 2021 से दिसम्बर 2022 तक के बकाये पारिश्रमिक के भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शिक्षक शिक्षा योजना अंतर्गत Para Academic staff के अतिरिक्त अन्य कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान करने का प्रावधान नहीं होने के कारण उक्त चतुर्थवर्गीय कर्मियों की सेवा को बरकरार रख कर पारिश्रमिक का भुगतान करना संभव नहीं होने के कारण उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कर्मियों की सेवा समाप्त कर दिये जाने के उपरांत उनकी सेवा को नियमित करने का प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–73/2023...285.../राँची, दिनांक...27/02/...2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–97 दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid